विषय – **स्टेट फैसिंग एसोसिएशन (म.प्र.) के अध्यक्ष एवं सचिव की मनमानी से अवगत कराने बावत्।**

महोदय,

(1) उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थी तलवारबाजी का खिलाड़ी है तथा ग्वालियर, मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी है तथा स्टेट फैसिंग एसोसिएशन (म.प्र.) से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेता था।

(2) प्रार्थी द्वारा स्टेट फैसिंग एसोसिएशन (म.प्र.) के सचिव गुरूमोहन सिंह की मनमानी एवं प्रतियोगिता के नाम पर अवैध फीस 850/– रूपये प्रति बच्चा प्रति प्रतियोगिता का विरोध करता चला आ रहा था जिसकी शिकायत कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से राष्ट्रीय तलवारबाजी संघ को अवगत करा चुकाहै।

(3) स्टेट फैसिंग एसोसिएशन (म.प्र.) के सचिव गुरूमोहन सिंह स्वयं ग्वालियर डिस्ट्रीक्ट फैसिंग एसोसिऐशन के सचिव बने हुए हैं तथा प्रतियोगिता के नाम पर बच्चों के अवैध फीस की वसूली करते हैं एवं कोई रसीद फीस प्राप्ती की नहीं देते हैं जिसका विरोध प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी किया जा रहा था एवं वर्तमान में भी किया जा रहा है।

(4) प्रार्थी द्वारा ग्वालियर डिस्ट्रीक्ट फैसिंग एसोसियेशन एवं स्टेट फैसिंग एसोसिएशन (म.प्र.) की कार्यशैली एवं अवैध वसूली से दुखी होकर स्वयं की एक अलग संस्था रॉक फायर एडवेन्चर सोसायटी के नाम से मध्य प्रदेश शासन से रजिस्ट्रर करवाकर ग्वालियर में सभी बच्चों को अन्य खेलों के साथ–साथ तलवारबाजी का भी निःशुल्क प्रशिक्षण देते आ रहे हैं। जिससे ग्वालियर डिस्ट्रीक्ट के अध्यक्ष एवं सचिव जो कि स्टेट फैसिंग एसोसिएशन (म.प्र.) के अध्यक्ष श्री ए.एस. भल्ल, सचिव श्री गुरूमोहन सिंह है, उक्त दोनों व्यक्ति प्रार्थी से द्वेष भावना रखते चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी द्वेष भावना रखते है।।

(5) जिला एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिता में स्वयं गुरूमोहन सिंह द्वारा प्रार्थी के खिलाड़ियों के साथ बेईमानी एवं गलत फिक्चर बनाकर स्वयं के कर्मचारियों को रेफरी बनाकर प्रार्थी के खिलाड़ियों को हटाया जाता है जिसका विरोध प्रार्थी

द्वारा करने पर उसके खिलाड़ियों को रेड कार्ड देकर हरा दिया जाता है जिसका विरोध करने पर प्रार्थी को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने हेतू प्रतिबंध करने हेतू धमकी दी जाती थी जिसके कारण प्रार्थी द्वारा अपनी रजिस्टर्ड सोसायटी खोली गई।

6. प्रार्थी द्वारा संस्था के सचिव गुरूमोहन सिंह द्वारा पिछले छः माह से स्वयं के द्वारा प्रशिक्षण दिए गए खिलाड़ियों हेतु संस्था के सचव एवं अध्यक्ष के मनमानी एवं बेईमानी से दुखी होकर उक्त खिलाड़ियों हेतू अन्य प्रदेश से खिलाड़ियों को खिलाने हेतू लगातार एन.ओ.सी. मांगी जा रही थी परनतु सचिव एवं अध्यक्ष द्वारा छः माह से एन.ओ.सी. देने हेतू टालम–टोल कर बहाना बनाया जा रहा था जिसके चलते प्रार्थी एवं प्रार्थी के खिलाड़ियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

7. प्रार्थी द्वारा गुरूमोहन सिंह से निवेदन किया गया तो यह कहा गया कि एन.ओ.सी. अध्यक्ष डॉ. भल्ला द्वारा दी जाएगी तथा आप उनसे मिलकर एन.ओ.सी. की मांग करें सचिव गुरूमोहन सिंह के निर्देश अनुसार प्रार्थी दिनांक 8.9.2018 को दोपहर 12 बजे के लगभग संस्था के अध्यक्ष डॉ. भल्ला से मिलने गया तथा एन.ओ.सी. हेतू निवेदन किया, जिस पर डॉ. भल्ला द्वारा प्रार्थी के साथ दुर्व्यवहार कर प्रार्थी को मार पीट कर भगा दिया तथा एन.ओ.सी. देने से इंकार कर दिया तथा यह भी कहा गया कि इस घटना की शिकायत किसी से की गई तो तुम्हारे हाथ पैर तुड़वा दूंगा एवं तुम्हें अपंग बना दूंगा।

8. प्रार्थी द्वारा उक्त घटना की शिकायत पुलिस थाना झांसी रोड़, जिला ग्वालियर (म.प्र.) में की गई है जिसकी जांच लम्बित है।

9. प्रार्थी अपने तलवारबाजी के खिलाड़ियां को 12 सितम्बर से 16 सितम्बर 2018 तक कटक (उड़ीसा) में आयोजित होने वाली 20वीं सब जूनियर 15वीं केडेट राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में सम्मिलित कराना चाहता था, किसी अन्य राज्य से, जिसके लिये उसे स्टेट फैसिंग एसोसिएशन (म.प्र.)से एन.ओ.सी. की आवश्यकता थी। जो कि संस्था द्वारा देने से मना कर दी गई, जिसका भुगतान

खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में सम्मिलित न होकर उठाना पड़ा और खिलाड़ियों के भविष्य के साथ संस्था के अध्यक्ष डॉ. भल्ला एवं सचिव गुरूमोहन सिंह द्वारा एक ओर खेल खेला गया।

10 डॉ. भल्ला अध्यक्ष एवं सचिव गुरूमोहन सिंह द्वारा अपने पद का दुरूप्रयोग कर खिलाड़ियों से अवैध बसूली (प्रतियोगिता के नाम पर) की जा रहीहे तथा खिलाड़ियों के भविष्य को बरर्वाद किया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को जिता कर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना जाता है जो फीस एवं अनय प्रकार की आर्थिक सहयोग संस्था द्वारा बताए अनुसार करते है।।

अतः निवेदन है कि उक्त संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव के विरूद्व कार्यवाही कर संस्था की मान्यता निरस्त करने की कृपा करें तथा उक्त दोनों के विरूद्व राष्ट्रीय संघ के वॉयलॉज के अनुसार जांच कर राष्ट्रीय संस्था के पदो से हटाने बावत् आदेश करने की कृपा करें तथा मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों को डॉ. भल्ला एवं गुरूमोहन सिंह की संस्था से नहीं खेलना चाहते हैं उन्हें अन्य किसी भी राज्य व संस्था से खेलने की अनुमति एवं प्रार्थी एवं प्रार्थी के खिलाड़िों को अन्य राज्य से खेलने की अनुमति देने की कृपा करें।

दिनांक – 8/9/2018

प्रार्थी,

(signature)

(प्रशान्त गुप्ता)
भौंसले की गोठ,
नया बाजार, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र.)
मो.: 9516912667, 7974653002

<u>संलग्न</u> –
पुलिस थाना झांसी रोड़
जिला ग्वालियर (म.प्र.) को
घटना की शिकायत की प्रति।

थाना प्रभारी
पुलिस थाना झाँसी रोड
ग्वालियर (म.प्र.)

विषयः— अपराध पंजीवद्व करने वावृत।

महोदय,

मेरा नाम प्रशान्त गुप्ता है मैं भोसले की गोठ, नया बाजार लश्कर ग्वालियर का निवासी हूँ। मैं तलवारबाजी का अन्तराष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ एवं ग्वालियर शहर में रॉक फायर एडवेन्चर क्लब का अध्यक्ष हूँ, जिसके अन्तर्गत मैं ग्वालियर शहर के विभिन्न विद्यालयों में बच्चों को तलवारबाजी भी सिखाता हूँ।

पिछले कुछ दिनों से राज्य तलवारबाजी संघ के सचिव श्री गुरूमोहन सिंह के घर चक्कर काटने के बाद जिसका कारण था की मैं अपने सिखाए हुऐ बच्चों को किसी और राज्य से खिलाने के लिए अनुमति मॉगने एवं एन.ओ.सी. (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेने के लिए गया था। जिस पर मुझे सचिव गुरूमोहन द्वारा लगातार चक्कर कटवाने के बाबजूद भी एन.ओ.सी नही दी गई तथा गुरूमोहन सिंह द्वारा मुझसे कहा गया की संस्था के अध्यक्ष डॉ भल्ला द्वारा दिया जाएगा आप अनसे संपर्क करें।

गुरूमोहन सिंह के निर्देश अनुसार मेरे द्वारा आज दिनांक 08/09/2018 को लग–भग दोपहर 12 बजे डॉ भल्ला से उनके सहारा अस्पताल में संपर्क किया गया तथा उनसे एन.ओ.सी हेतु निवेदन किया गया जिस पर डॉ भल्ला नाराज हो गए और मुझसे कहने लगे की तुम हमारी संस्था की राष्ट्रीय तलवार बाजी संग को शिकायतें करते हो और तुम एन.ओ.सी लेकर हमारी और हमारे संघ की बदनामी करोगे इसलिए तुम्हें एवं तुम्होरे सिखए हुए तलवारबाजी के बच्चों को एन.ओ.सी नही देगे जिस पर प्रार्थी द्वारा डॉ भल्ला से कहा गया की आपका सचिव बच्चों को कोई सुविधा नही देते है एवं प्रत्येक नही देते है एवं प्रत्येक प्रतियोगिक जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर 850–850 रूपए लेता है जिसे देने में मेरे बच्चे असमर्थ है इसलिए हम बच्चों को अन्य राज्य से प्रतियोगिता में खिलाएगें जहॉ बच्चों से रूपसे की मांग नहीं की जाती। आपकी संस्था द्वारा 7 जिला स्तर प्रतियोंगिता एवं 7 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कुल 14 प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। जिसमें 850 रूपये के हिसाब से 1 बच्चे से लगभग 12,000/– रूपये ले लेते है तथा बच्चों की प्रतियोगिता के दौरान खाने के लिए कुछ नही दिया जाता वह प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से रात्रि 7 बजे तक चलती है इसलिए प्रार्थी अपनी और अपने बच्चों की एन.ओ.सी चाहता है इस बात पर डॉ भल्ला भड़क गए और बोले की तू कल का लड़का हमें ज्ञान देता है और हमारी बदनामी कर रहा है तेरी हम तलवारबाजी खेलना और सिखाना बंद करवा देगे और तुझे राष्ट्रीय संस्था से भी खेलने पर प्रतिबंध करवा

कार्यालय पुलिस थाना
झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)
8/9/18

देगे। तो प्रार्थी द्वारा कहा गया की आप हमें एन.ओ.सी देदे बाकी आपको जो ठीक लगे वो करें इस बात पर डॉ भल्ला द्वारा मुझे चाटा एवं लाते से मारकर धक्का देकर अपने चैम्बर से बाहर निकालते हुए कहा गया की यदी तुने कोई भी बात मेरे या मेरी संस्था के विरूध राष्ट्रीय संस्था एवं अन्य किसी से भी की तो तेरे हाथ–पैर तुड़वा कर स्थाई रूप से अपंग बना दूगॉ। मेरी अस्पताल में भीड़ के सामने डॉ भल्ला द्वारा बेईजती की गई भविष्य में मुझे डॉ ए.एस भल्ला एवं गुरूमोहन सिंह से जान का खतरा है यदि मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उक्त घटना के संपूर्ण जिम्मेदार डॉ भल्ला एवं गुरूमोहन सिंह होगे।

अतः निवेदन है कि डॉ ए.एस भल्ला, (9826266385) अध्यक्ष स्टेट फैसिंग एससेसिएशन, सहारा हॉस्पिटल ग्वालियर एवं गुरूमोहन सिंह (9826216050) सचिव स्टेअ फैसिंग एसोसिएशन जो की इस वर्तमान घटना को घटित करवाने के सहदोगी है, उक्त दोने के विरूद्व अपराध पंजीवृद्व करने की कृपा करें।

दिनांकः–08 / 09 / 2018

प्रार्थी

प्रशान्त गुप्ता
भोसले की गोठ, नया बाजार
लश्कर , ग्वालियर
मो. 9516912667,7974653002